# शव्वाल के महीने से संबंधित संक्षिप्त प्रावधान

[ **हिन्दी** – Hindi – هندي ]

अब्दुल्लाह मोहसिन अस्साहूद

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2014 - 1435

IslamHouse.com

# ﴿أحكام مختصرة في شهر شوال﴾

« باللغة الهندية »

عبد الله محسن الصاهود

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2014 - 1435

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

**मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।**

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

# शव्वाल के महीने से संबंधित संक्षिप्त प्रावधान

अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद ही शव्वाल के छः रोज़े रखे, तो यह ज़माने भर का रोज़ा है।'' इसे अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

## 1– शव्वाल के छः रोज़ों की फज़ीलत (प्रतिष्ठा) क्या है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

रमज़ान के बाद शव्वाल के छः दिनों का रोज़ा रखना ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है। (मजमूउल फतावा 20/17)

## 2– क्या शव्वाल के छः दिनों का रोज़ा पुरूषों और महिलाओं सबके लिए सामान्य है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

पुरूषों और महिलाओं सबके लिए सामान्य है। (मजमूउल फतावा 20/17)

## 3– क्या शव्वाल के छः रोज़ों का सवाब उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा जिसके ऊपर रमज़ान की क़ज़ा अनिवार्य है, क़ज़ा के रोज़े रखने से पहले?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

शव्वाल के छः दिनों का रोज़ा रखने का सवाब प्राप्त नहीं होता है, सिवाय इसके कि जब इन्सान रमज़ान के

महीने के रोज़े मुकम्मल कर ले। (मजमूउल फतावा 20/18)

तथा शैख इब्ने बाज़ ने फरमाया

धर्म संगत यह है कि क़ज़ा के रोज़ों से शुरूआत की जाय। अतः अनिवार्य है कि क़ज़ा करने में जल्दी की जाय, भले ही शव्वाल के छः रोज़े छूट जाएं क्योंकि फर्ज़ (अनिवार्य) को नफल (एच्छिक चीज़ों) पर प्राथमिकता और वरीयता प्राप्त है। (मजमूउल फतावा 15/393)

## 4– शव्वाल के छः दिनों का रोज़ा रखने की विधि?

शैख इब्ने बाज़ ने फरमाया :

मुसलमान उसे पूरे महीने से चुन सकता है, यदि वह चाहे तो ये रोज़े महीने के शुरू में रखे, या उसके बीच में, या उसके अंत में रखे, और यदि चाहे तो उसे अलग–अलग दिनों में रखे। (मजमूउल फतावा 15/390).

## 5– शव्वाल के छः रोज़ों के बारे में सबसे बेहतर क्या है?

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

अगर वह उसमें पहल करता है और महीने के शुरू ही में उसे रख लेता है तो यह सबसे बेहतर है। (मजमूउल फतावा 15/390).

तथा शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

सबसे बेहतर यह है कि शव्वाल के छः रोज़े ईद के ठीक बाद रखे जाएं और वे निरंतर (लगातार) रखे जायें। (मजमूउल फतावा 20/20)

## 6– क्या शव्वाल के छः रोज़ों का लगातार होना ज़रूरी है?

शैख इब्ने बाज़ ने फरमाया :

उन दिनों का रोज़ा लगातर और अलग–अलग (दोनों तरह) रखना जायज़ है। (मजमूउल फतावा 15/391).

## 7– क्या अगर वह शव्वाल के छः रोज़े रख ले तो वह उस पर हर साल अनिवार्य हो जाता है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

अगर वह कुछ सालों में रोज़ा रखे और कुछ सालों में उसे छोड़ देता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है ; क्योंकि वह सुन्नत है, अनिवार्य नहीं है। (मजमूउल फतावा 20/21).

## 8– क्या शव्वाल के छः रोज़ों में रात ही से नीयत करना ज़रूरी है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

शव्वाल के छः रोज़ों में फज्र के पहले से ही नीयत करना ज़रूरी है, ताकि उसका दिन संपूर्ण हो जाए (अर्थात उसका रोज़ा पूरे दिन का हो)। (मजमूउल फतावा 19/184).

## 9– जो आदमी शव्वाल के रोज़े को बिदअत कहता है उसका तथ्य क्या है?

शैख इब्ने बाज़ ने फरमाया :

यह कथन असत्य और निर्थक है। (मजमूउल फतावा 15/389).

## 10– क्या जिसने किसी उज्र की बिना पर शव्वाल के छः रोज़े छोड़ दिए उसके लिए क़ज़ा करना धर्म संगत है?

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

शव्वाल का महीना बीत जाने के बाद उसकी क़ज़ा करना धर्म संगत नहीं है। क्योंकि वह सुन्नत है जिसका स्थान छूट (निकल) गया, चाहे उसे किसी उज़्र की वजह से छोड़ा गया हो या बिना किसी उज़्र के छोड़ा गया हो। (मजमूउल फतावा 15/389).

## 11– क्या शव्वाल के छः रोज़े को कफ्फारा के रोज़ों से पहले रखना जायज़ है?

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

अनिवार्य यह है कि कफ्फारा के रोज़ों को रखने में जल्दी की जाए, अतः शव्वाल के रोज़ों को उस पर प्राथमिकता देना जायज़ नहीं है; क्योंकि यह नफल है और कफ्फारा फर्ज़ है, और वह तुरन्त अनिवार्य है। (मजमूउल फतावा 15/394).

## 12– उस व्यक्ति का हुक्म जो किसी शरई उज़्र की वजह से शव्वाल के छः रोज़े मुकम्मल न कर सके?

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

आप ने उन में से जितने रोज़े रखे हैं उनका आपको अज्र व सवाब मिलेगा और आशा की जाती है कि आपको उसक पूरा अज्र व सवाब मिले अगर उसे मुकम्मल करने में कोई शरई उज़्र रूकावट था। तथा

उनमें जो रोज़े आप ने छोड़ दिए हैं उनकी क़ज़ा करना आप पर अनिवार्य नहीं है। (मजमूउल फतावा 15/395).

## 13– क़ज़ा के रोज़ों को शव्वाल के छः रोज़ों से मिलाने का हुक्म?

शैख इब्ने बाज़ ने फरमाया :

सही बात यह है कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। (मजमूउल फतावा 15/396).

## 14– क्या शव्वाल के छः रोज़े ज़ुल–क़ादा में कज़ा कर सकते हैं?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

**(क)–** यदि हम मान लें कि आदमी के ऊपर यात्रा, या बीमारी, या प्रसव की वजह से रमज़ान के पूरे रोज़े बाक़ी थे, और उसने शव्वाल के महीने में रोज़े रखे और शव्वाल का पूरा महीना क़ज़ा करने में समाप्त हो गया, तो वह छः रोज़ों को ज़ुल–कादा में रखेगा।

**(ख)**– लेकिन अगर उसने क़ज़ा करने में लापरवाही से काम लिया और वे दिन बीत गए जिनमें वह क़ज़ा कर सकता था, फिर उसने रमज़ान के बाक़ी रह गए रोज़ों की क़ज़ा शव्वाल के अंत में किया फिर वह उसके बाद शव्वाल के छः रोज़े रखना चाहता है, तो यह उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। (लिक़ाउल बाबिल मफतूह).

## 15– सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जायेगी मन्नत के रोज़े को या शव्वाल के छः रोज़ों को?

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

आपके ऊपर अनिवार्य है कि सबसे पहले मन्नत के बाक़ी बचे रोज़े रखें, फिर यदि आप सक्षम हैं तो शव्वाल के छः रोज़े रखें, क्योंकि शव्वाल के छः रोज़े रखना मुसतहब (ऐच्छिक) है, रही बात मन्नत के रोज़ों की तो वह अनिवार्य हैं।

(फतावा नूरून अला अद–दर्ब 3–1261).

## 16– क्या शव्वाल के छः रोज़ों में नीयत ज़रूरी है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

शव्वाल के छः रोज़े जो रमज़ान के अधीन हैं, यदि इन्सान उनकी नीयत दिन के दौरान करता है तो वह मुकम्मल दिन का रोज़ा नहीं लिखा जायेगा। यदि मान लिया जाए कि पहले दिन उसने ज़ुहर के समय रोज़े की नीयत की फिर उसके बाद उसने पाँच दिन रोज़े रखे, तो उसने छः दिनों के रोज़े नहीं पाए क्योंकि उसने पाँच दिन और आधे दिन के रोज़े रखे हैं। क्योंकि अज्र व सवाब नीयत ही से लिखा जाता है। जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''कामों का दारोमदार नीयतों पर है, और वास्तव में हर इन्सान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की है।'' और दिन के शुरू भाग में उसने रोज़ा रखने की नीयत नहीं की थी, इसलिए उसका वह दिन पूरा नहीं होगा।''

(फतावा नूरून अला अद–दर्ब).

## 17–शव्वाल के छः रोज़ों की हिकमत (तत्वदर्शिता) क्या है?

शैख इब्ने उसैमीन ने फरमाया :

ताकि हम उसके द्वारा फराइज़ को पूरा करें, क्योंकि शव्वाल के छः रोज़े फर्ज़ नमाज़ के बाद की सुन्नतों के समान हैं जिसके द्वारा फर्ज में होने वाली कमी को पूरा किया जाता है। (फतावा नूरून अला अद–दर्ब).

## 18– क्या जो आदमी शव्वाल के छः रोज़ों में से केवल तीन या पाँच दिन के रोज़े रखता है उसे अज्र व सवाब मिलेगा?

इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

हाँ, उसे अज्र मिलेगा, किन्तु वह आदमी उस अज्र व सवाब को नही पायेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन में उल्लेख किया है : ''जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके तुरंत

पश्चात शव्वाल के छः रोज़े रखे तो गोया उसने ज़माने भर का रोज़ा रखा।'' (फतावा नूरून अला अद–दर्ब).

## 19– क्या शव्वाल के छः रोज़ों और सोमवार और जुमेरात के रोज़ों की नीयत को एकत्रित करना जायज़ है?

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

यदि इन छः दिनों के रोज़े सोमवार या जुमेरात के दिन पड़ जाएं तो उसे उसकी नीयत के द्वारा छः दिनों का अज्र व सवाब और सोमवार या जुमेरात के दिन का अज्र व सवाब प्राप्त होगा। (फतावा नूरून अला अद–दर्ब).

## 20– क्या छः दिनों के रोज़े को रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा बनाना जायज़ है?

इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

शव्वाल के छः रोज़ों को रमज़ान की क़ज़ा बनाना सही नहीं है, क्योंकि शव्वाल के छः रोज़े रमज़ान के अधीन

हैं, अतः यह फर्ज़ नमाज़ की सुन्नतों के समान हैं। (फतावा नूरून अला अद–दर्ब).